भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तराखण्ड,
जनपद बागेश्वर।

संख्या 326 /भू0खनि0वि0/खनन/जन0बागे0/2024–25, दिनांकः 8/07/2024

सेवा में,

Mr. Deepak Bora,
Counsel for State of Uttarakhand,
17 New Lawyers Chambers, Setalvad Block,
Supreme Court of India, New Delhi

विषयः– मा0 एन0जी0टी द्वारा मूल आवेदन सं0 453/2023 रघुवीर सिंह गड़िया बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर के कार्यालय पत्र संख्या 849/तीस–खनन–ने0ग्री0ट्रि0/2024 दिनांक 08.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से मा0 एन0 जी0 टी0 में दर्ज मूल आवेदन सं0 453/2023 रघुवीर सिंह गड़िया बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में आपके ई–मेल दिनांक 06 जुलाई, 2024 के क्रम में प्रकरण पर आपसे सम्पर्क स्थापित करते हुए निर्धारित समयावधि भीतर समस्त आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में मूल आवेदन संख्या 453/2023 रघुबीर सिंह गढ़िया बनाम् उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 द्वारा निम्नवत आदेश पारित किये गयेः–

(8) In view of the averments made in the application and objections filed by the applicant and observations made in the report of the Joint Committee regarding environmental violations by respondent No. 5-project proponent and the mandate of Section 20 of the National Green Tribunal Act, 2010 mandating to apply the precautionary principle and in exercise of powers under Section 19(4) (j) of the National Green Tribunal Act, 2010, the respondent no. 5-project proponent its directed to desist from carrying out any further mining in th mining lease in question.

(9) The District Magistrate, Bageshwar and the Senior Superintendent of Police, Bageshwar are directed to ensure that no illegal mining takes place in the mining lease in question.

उपरोक्त के अनुपालन में जिलाधिकारी बागेश्वर के कार्यालय पत्र संख्या 508/तीस–खनन–ने0ग्री0ट्रि0/2024 दिनांक 24.04.2024 के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को उक्त सोपस्टोन खनन पट्टे में खनन कार्य/गतिविधियां, स्थगित/बन्द किये जाने के सम्बन्ध में तथ्यात्मक आख्या उपलब्ध कराये जाने तथा यदि सोपस्टोन माईन में अवैध खनन संचालित हो रहा है तो तत्सम्बन्धी तत्यों को भी आख्या में सम्मिलित करते हुए अवगत कराने के निर्देश दिये गये। उक्त के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र संख्या 28/भू0खनि0वि0/खनन/जन0बागे0/2024–25 दिनांक 27.04.2024 के द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 03.04.2024 के अनुपालन में श्री आनन्द सिंह कालाकोटी के पक्ष में ग्राम पपों में स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टे में खनन कार्य/गतिविधियां, स्थगित/बन्द किये जाने के निर्देश दिये जाने का उल्लेख करते हुए आख्या प्रेषित की गयी। जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्र संख्या 545/तीस–खनन–ने0ग्री0ट्रि0/2024 दिनांक 04.05.2024 के द्वारा मा0 एन0 जी0 टी0, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 03.04.2024 को पारित आदेशों का परिपालन सुनिश्चित

कराते हुए अनुपालन आख्या/प्रकरण की अद्यतन स्थिति से अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये। उक्त के अनुपालन में इस कार्यालय के नोटिस पत्र संख्या 58/भू0खनि0वि0/जन0बागे0/नोटिस/2023–24 दिनांक 06.05.2024 को श्री आनन्द सिंह कालाकोटी के पक्ष में स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टे के ई–रवन्ना पोर्टल को बन्द करते हुए पट्टाधारक को स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत अग्रिम आदेशों तक खनन कार्य बन्द किये जाने के निर्देश दिये गये।

पट्टाधारक श्री आनन्द सिंह कालाकोटी के अनुरोध पत्र दिनांक 08.05.2024 के द्वारा खनन क्षेत्रान्तर्गत पूर्व में किये गये खनन कार्य के अवशेष 1500 टन खनिज सोपस्टोन के परिवहन हेतु ई0 रवन्ना पोर्टल खोले जाने हेतु किये गये अनुरोध के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 69/भू0खनि0वि0/खनन/जन0बागे0/2024–25 दिनांक 10.05.2024 के द्वारा श्री आनन्द सिंह कालाकोटी द्वारा खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत अवशेष खनिज स्टॉक के परिवहन हेतु चाही गयी अनुमति के क्रम में जिलाधिकारी बागेश्वर को निर्णयार्थ पत्र प्रेषित किया गया। जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्र संख्या 583/तीस–खनन/2023–24 दिनांक 17 मई, 2024 के द्वारा पट्टाधारक को खनन क्षेत्रान्तर्गत मा0 एन0 जी0 टी0 के आदेश से पूर्व दिनांक 31.03.2024 तक खनन क्षेत्रान्तर्गत खनन कार्य से निकले 1500 टन सोपस्टोन के परिवहन हेतु ई–रवन्ना पोर्टल खोलने की अनुमति प्रदान की गयी।

अतः उक्तानुसार आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

भवदीय

(जिज्ञासा बिष्ट)
प्रभारी जिला खान अधिकारी

संख्या /भू0खनि0वि0/खनन/जन0बागे0/2024–25, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(जिज्ञासा बिष्ट)
प्रभारी जिला खान अधिकारी

ANX-1

कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर।

संख्या 508 /तीस–खनन–ने०ग्री०ट्रि०/2024 दिनांक 24 /4 /2024

प्र0 जिला खान अधिकारी,
बागेश्वर।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्याः 453/2023 रघुबीर सिंह गढ़िया बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्याः 453/2023 रघुबीर सिंह गढ़िया बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत प्रश्नगत मामले में निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:–

(8) In view of the averments made in the application and objections filed by the applicant and observations made in the report of the Joint Committee regarding environmental violations by respondent No. 5-project proponent and the mandate of Section 20 of the National Green Tribunal Act, 2010 mandating to apply the precautionary principle and in exercise of powers under Section 19(4) (j) of the National Green Tribunal Act, 2010, the respondent no. 5-project proponent its directed to desist from carrying out any further mining in th mining lease in question.

(9) The District Magistrate, Bageshwar and the Senior Superintendent of Police, Bageshwar are directed to ensure that no illegal mining takes place in the mining lease in question.

इसके अतिरिक्त प्रकरण पर सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून द्वारा भी कार्यालय पत्र संख्याः यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0–183–713/2024/51 दिनांक 15.04.2024 से **"श्री आनन्द सिंह कालाकोटी द्वारा ग्राम पपों, तहसील एवं जिला बागेश्वर द्वारा संचालित सोप स्टोन माइनिंग को बन्द करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने"** हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः उक्त कम में निर्देशित किया जाता है कि उक्त संचालित सोपस्टोन माईन में खनन कार्य/गतिविधियॉं, स्थगित/बन्द किये जाने के सम्बन्ध में तथ्यात्मक आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त यदि सोपस्टोन माईन में अवैध खनन संचालित हो रहा है तो तत्सम्बन्धी तथ्यों को भी आख्या में सम्मिलित करते हुए अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नक – यथोपरि।

(अनुराधा पाल)
जिलाधिकारी बागेश्वर।

Scanned with OKEN Scanner

ANX- 2

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तराखण्ड,
जनपद बागेश्वर।

संख्या 28 /भू0खनि0वि0/खनन/जन0बागे0/2024–25, दिनांकः 27-04-2024

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 453/2023 रघुबीर सिंह गढ़िया बनाम् उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।**

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 508/तीस–खनन–ने0गी0ट्रि0/2024 दिनांक 24.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 453/2023 रघुबीर सिंह गढ़िया बनाम् उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 के अनुपालन में तथा प्रकरण में सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या यूकेपीसीबी/एच0ओ0/सा0–183–713 /2024/51 दिनांक 15.04.2024 के क्रम में उक्त संचालित सोपस्टोन माईन में खनन कार्य/गतिविधियां, स्थगित/बन्द किये जाने के सम्बन्ध में तथ्यात्मक आख्या उपलब्ध कराये जाने तथा सोपस्टोन माईन में अवैध खनन संचालित हो रहा है तो तत्सम्बन्धी तथ्यों को भी आख्या में सम्मिलित करते हुए अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2424/औ0वि0/74–ख/2001 दिनांक 08.01.2002 के द्वारा जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम पपों के क्षेत्रान्तर्गत 2.81 एकड़ अर्थात 1.14 है0 क्षेत्रफल में सोपस्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत किया गया। उक्त खनन पट्टे की अवधि दिनांक 21.02.2022 को समाप्त हो जाने के दृष्टिगत औद्योगिक विकास अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 2250/VII-A-1/2021–74ख/2001 दिनांक 03 जनवरी, 2022 के द्वारा उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्राविधानानुसार उक्त सोपस्टोन खनन पट्टे का आगामी 30 वर्षों तक विस्तारीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। उक्त खनन पट्टे के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में मूल आवेदन संख्या 453/2023 रघुबीर सिंह गढ़िया बनाम् उत्तराखण्ड राज्य व अन्य योजित किया गया है। उक्त वाद में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 द्वारा निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:–

(8) In view of the averments made in the application and objections filed by the applicant and observations made in the report of the Joint Committee regarding environmental violations by respondent No. 5-project proponent and the mandate of Section 20 of the National Green Tribunal Act, 2010 mandating to apply the precautionary principle and in exercise of powers under Section 19(4) (j) of the National Green Tribunal Act, 2010, the respondent no. 5-

Scanned with OKEN Scanner

project proponent its directed to desist from carrying out any further mining in th mining lease in question.

(9) The District Magistrate, Bageshwar and the Senior Superintendent of Police, Bageshwar are directed to ensure that no illegal mining takes place in the mining lease in question.

अवगत कराना है कि उक्त सोपस्टोन खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 16.03.2024 को राजस्व विभाग तथा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत किसी प्रकार का अवैध खनन होना नहीं पाया गया। वर्तमान में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 03.04.2024 द्वारा प्रतिवादी संख्या 05, पट्टाधारक श्री आनन्द सिंह कालाकोटी को उक्त सोपस्टोन खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत किसी भी तरह के खनन कार्य ना किये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा जिलाधिकारी बागेश्वर तथा पुलिस अधीक्षक बागेश्वर को यह सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं कि उक्त खनन पट्टाक्षेत्रान्तर्गत किसी भी प्रकार का अवैध खनन ना हो। यदि पट्टाधारक द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 03.04.2024 के विरूद्ध खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत खनन कार्य संचालित किया जाता है तो वह अवैध खनन की श्रेणी में माना जायेगा। अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 03.04.2024 के अनुपालन में श्री आनन्द सिंह कालाकोटी के पक्ष में ग्राम पपों में स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टे में खनन कार्य/गतिविधियां, स्थगित/बन्द किये जाने के निर्देश दिया जाना उचित होगा।

अतः उक्तानुसार आख्या सादर प्रेषित।

भवदीय

(जिज्ञासा बिष्ट)
प्रभारी जिला खान अधिकारी

27-4-24

ANX-3

कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर।

संख्या 545 / तीस–खनन–ने0ग्री0ट्रि0 / 2024 दिनांक 4 / 5 / 2024

प्र0 जिला खान अधिकारी,
बागेश्वर।

विषयः **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्याः 453 / 2023 रघुबीर सिंह गढ़िया बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।**

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्याः 508 / तीस–खनन–ने0ग्रीन0ट्रि / 2024 दिनांक 24.04.2024 के कम में अपने कार्यालय पत्र संख्याः 28 / भू0खनि0वि0 / खनन / जन0बागे0 / 2024–25 दिनांक 27.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

प्रकरण पर श्री आनन्द सिंह कालाकोटी, पट्टाधारक द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 20.04.2024 प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया है कि आवेदक के पक्ष में जनपद बागेश्वर के ग्राम पपों में 01.14 है0 भूमि पर सोपस्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत है। श्री रघुवीर सिंह गढ़िया द्वारा कतिपय भ्रान्तियों के चलते मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण में मूल वाद सं0: 453 / 2023 दायर किया गया है। मा0 अभिकरण द्वारा मामले में निर्गत नोटिस का अनुपालन आवेदक अपनी गम्भीर अस्वस्थता तथा विविध जानकारी ना होने के कारण नहीं कर पाया फलस्वरूप मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण द्वारा आवेदक को अपने आदेश दिनांक 03.04.2024 द्वारा खनन क्षेत्र में खनन करने से प्रतिबन्धित करने के आदेश पारित किये गये किन्तु पट्टाधारक द्वारा पूर्व में ही दिनांक 31.03.2024 से ही खनन कार्य बन्द कर दिया गया है एवं माईनिंग क्षेत्र में सुरक्षात्मक कार्य किया जा रहा है। आवेदक को आज तक यह जानकारी नहीं है कि उसके विरूद्ध क्या शिकायत की गई है। मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा प्रेषित की जानकारी भी सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 16.04.2024 को प्राप्त हुई। दिनांक 01.08.2023 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त दिये गये 06 सुझावों के अनुपालन हेतु पट्टाधारक द्वारा कार्य प्रारम्भ करवा दिया गया है, जिसकी जॉच कुछ समय बाद की जा सकती है।

अतः श्री आनन्द सिंह कालाकोटी के प्रार्थना पत्र दिनांक 20.04.2024 की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रकरण पर अपने स्तर से आवश्यक स्थलीय / अभिलेखीय जॉच सम्पन्न कर मा0 एन0 जी0 टी0, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 03.04.2024 को पारित आदेशों का परिपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या/प्रकरण की अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नक – यथोपरि।

(अनुराधा पाल)
जिलाधिकारी बागेश्वर।

ANX-4

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तराखण्ड,
जनपद बागेश्वर।

संख्या 58 /भू0खनि0वि0/जन0बागे0/नोटिस/2024–25, दिनांकः 06-05-2024

नोटिस

श्री आनन्द सिंह कालाकोटी,
पुत्र श्री दिवान सिंह कालाकोटी,
निवासी ग्राम व पो0ओ0 दोफाड़,
तहसील व जनपद बागेश्वर।

अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर के कार्यालय पत्र संख्या 545/तीस–खनन –ने0ग्री0ट्रि0/2024 दिनांक 04.05.2024 के द्वारा आपके द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 20.04.2024 के क्रम में प्रकरण पर आवश्यक स्थलीय/अभिलेखीय जांच सम्पन्न कर मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 03.04.2024 को पारित आदेशों का परिपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या/प्रकरण की अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 03.04.2024 द्वारा आपको आपके पक्ष में स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत किसी भी तरह के खनन कार्य ना किये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा जिलाधिकारी बागेश्वर तथा पुलिस अधीक्षक बागेश्वर को यह सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं कि उक्त खनन पट्टाक्षेत्रान्तर्गत किसी भी प्रकार का अवैध खनन ना हो।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा परित आदेश दिनांक 03.04.2024 एवं जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर के कार्यालय पत्र संख्या 545/तीस–खनन –ने0ग्री0ट्रि0/2024 दिनांक 04.05.2024 के अनुपालन में अग्रिम आदेशों तक आपके पक्ष में ग्राम पपों में स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टे के ई–रवन्ना पोर्टल को बंद किया जा रहा है। आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने पक्ष में स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत अग्रिम आदेशों तक खनन कार्य बन्द करना सुनिश्चित करें।

(हस्ताक्षर)

(जिज्ञासा बिष्ट)
प्रभारी जिला खान अधिकारी

संख्या /भू0खनि0वि0/जन0बागे0/नोटिस/2023–24, तददिनांक।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर को पत्र संख्या 545 दिनांक 04.05.2024 के अनुपालन में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

प्रभारी जिला खान अधिकारी

6/5/24

6/5/24

Scanned with OKEN Scanner

ANX-5

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तराखण्ड,
जनपद बागेश्वर।

संख्या 59 /भू0खनि0वि0/खनन/जन0बागे0/2024—25, दिनांकः 10-05-2024

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

विषयः— **ई रमन्ना पोर्टल को खोले जाने के सम्बन्ध में।**

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक श्री आनन्द सिंह कालाकोटी पुत्र श्री दीवान सिंह कालाकोटी, ग्रा0 पो0 दोफाड़ के अनुरोध पत्र दिनांक 08.05.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि एम0ओ0 संख्या 63022700 को मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश दिनांक 03.04.2024 के क्रम में बन्द कर दिया गया है तथा उपरोक्त आदेश से पूर्व ही माईन में खनन कार्य बन्द कर दिया है तथा केवल सुरक्षात्मक कार्य किये जा रहे हैं जिसकी सूचना जिलाधिकारी बागेश्वर को दिनांक 20.04.2024 द्वारा दी गयी है। पूर्व में स्वीकृत सी0टी0ओ0 जो दिनांक 31.03.2024 तक वैध था के क्रम में माईनिंग क्षेत्र में दिनांक 24.03.2024 तक खनन कार्य किया गया तथा उसके बाद कोई खनन कार्य नहीं किया गया है। दिनांक 31.03.2024 तक माईन में लगभग 1500 टन खनिज स्टॉक जिसे एन0जी0टी0 के उपरोक्त आदेश से पूर्व एकत्रित किया गया था के परिवहन हेतु ई0रवन्ना पोर्टल को खोलने का अनुरोध किया गया है।।

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि श्री आनन्द सिंह कालाकोटी के पक्ष में तहसील व जनपद बागेश्वर के ग्राम पपों में स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टे के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 453/2023 रघुबीर सिंह गढ़िया बनाम् उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 के क्रम में महोदया के कार्यालय पत्र संख्या 545/तीस—खनन —ने0ग्री0ट्रि0/2024 दिनांक 04.05.2024 के अनुपालन में अग्रिम आदेशों तक श्री आनन्द सिंह कालाकोटी के पक्ष में ग्राम पपों में स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टे के ई—रवन्ना पोर्टल को बंद कर दिया गया है तथा अग्रिम आदेशों तक खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत खनन कार्य बन्द रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रकरण में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 के उपरान्त वर्तमान तक अन्य कोई आदेश प्राप्त नहीं है। अतः श्री आनन्द सिंह कालाकोटी द्वारा खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत अवशेष खनिज स्टॉक के परिवहन हेतु चाही गयी अनुमति के क्रम में महोदया के निर्णयार्थ सादर प्रेषित।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
(जिज्ञासा बिष्ट)
प्रभारी जिला खान अधिकारी

O/C
(हस्ताक्षर)

Scanned with OKEN Scanner

ANX-6

कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर

संख्या– 583 /तीस–खनन/2023–24 दिनांक 17 मई, 2024

प्रभारी जिला खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
बागेश्वर।

विषयः– ई रवन्ना पोर्टल को खोले जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्याः–69/भू0खनि0वि0/खनन/जन0 बागे0/2024–25 दिनांक 10.05.2024, का संदर्भ ग्रहण करें, जिससे श्री आनन्द सिंह कालाकोटी पुत्र श्री दीवान सिंह कालाकोटी, ग्राम व पो0 दोफाड़ के अनुरोध पत्र दिनांक 08.05.2024 में उल्लिखित तथ्य कि उनकी (पट्टाधारक) सोपस्टोन माइन पपों में मा0 एन0जी0टी0 के आदेश से खनन कार्य बन्द किया गया है। मा0 एन0जी0टी0 के आदेश से पूर्व दिनांक 31.03.2024 तक खनन क्षेत्रान्तर्गत खनन कार्य से 1500 टन सोपस्टोन खनिज निकला है, को परिवहन किये जाने हेतु प्रस्तुत अनुरोध पर जिलाधिकारी महोदया द्वारा अपने पृष्ठांकित आदेश दिनांक 17.05.2024 से 1500 टन सोपस्टोन के परिवहन हेतु ई0–रवन्ना पोर्टल खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है।

अतः तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

अपर जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

प्रतिलिपिः– निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1– उपजिलाधिकारी, बागेश्वर।
2– श्री आनन्द सिंह कालाकोटी पट्टाधारक सोपस्टोन माईन, पपों, तहसील व जनपद बागेश्वर।

अपर जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

Received

Scanned with OKEN Scanner